


हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग



संख्या-इण्ड-II(एफ)6-14/2014-1

दिनांक: शिमला-2, 24-4-2018

शुद्धिपत्र

इस विभाग की रागसंख्याक अधिसूचना तारीख 06-04-2018 द्वारा जारी और दिनांक 13-04-2018 के राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौन खनिज (शियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2018 के राजभाषा पाठ में, नियम 34 के खण्ड (1) के प्रथम परन्तुक में "उस मागले (दशा) में" शब्दों के स्थान पर "नवीकरण के मागले में या" शब्द पढ़े जाएं।

D
25/4/18
S.G.
26-4-2018

आदेश द्वारा,
(आरो डी० धीमान)
प्रधान सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: इण्ड-II(एफ)6-14/2014-1

तारीख: शिमला-2; 24-4-2018.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सभी प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
3. सभी उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-01
5. सभी महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हिमाचल प्रदेश।
6. सभी खनि अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

All signed

अतिरिक्त सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार

—1068
Enclst. No. 5-49/79-Ind (Glg) Vol-II-Part-III-1/5/18 Dated

S. P. Panwar

File

Copy forwarded for following for further necessary action to:-

*Sh. Sarit
Chander*

- 1) All the Geologist, Geological wing, Shimla-171001, H.P.
- 2) All the Assistant Geologist, Geological wing, Shimla-171001, H.P.
- 3) All the Dealing Assistant (Mining Section), Geological wing, Shimla-171001, H.P.
- 4) All the Mining officers in H.P.

S. G.

State Geologist,
Himachal Pradesh,